

श्री कृष्ण नन्दन पासवान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-
18/2/1805 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड में जमुनिया शाखा नहर 52 RD पुल से 90 RD पुल तक सड़क नहीं होने के कारण आवागमन हेतु 10 किलोमीटर की दुरी आम जनता को तय करने में काफी कटिनाई होती है; यदि हाँ तो सरकार उक्त जमुनिया शाखा कैनाल पर सड़क कबतक बनवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि जमुनिया शाखा नहर तिरहुत मुख्य नहर के 116.76 कि०मी० (बायाँ) से निःसृत है। जमुनिया शाखा नहर के सेवापथ का उपयोग नहर निरीक्षण हेतु किया जाता है। जमुनिया शाखा नहर के 15.85 कि०मी० (52.00 आर०डी०) से 17.98 कि०मी० (59.00 आर०डी०) तथा 20.41 कि०मी० (66.97 आर०डी०) से 20.42 कि०मी० (67.00 आर०डी०) तक पक्की सेवापथ निर्मित है।</p> <p>जमुनिया शाखा नहर के शेष भाग में सेवापथ के कालीकरण कार्य हेतु पथ निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किये जाने पर जल संसाधन विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(मो०)-05-74/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/2/1805 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(मो०)-05-74/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(मो0)-05-74 / 2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(मो0)-05-74 / 2026-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1455

पटना, दिनांक-25/03/26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

24/03/26